राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 1806/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
जीवनराम अमरावाली ढाणी] कि- रेनवाल, Jaipur ,Rajasthan		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उप निदेशक स्थानीय निकाय विभाग Jaipur

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 11/04/2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री रामगोपाल, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 24-7-17 के द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाने वाले दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी को पत्र दिनांक 3-8-11 से 22 पृष्ठीय सूचना हेतु राशि 44/-रु. जमा करवाने हेतु तथा स्मरण पत्र दिनांक 23-8-17 एवं 15-12-17 द्वारा संसूचित किया गया था परन्तु अपीलार्थी द्वारा शुल्क राशि जमा नहीं करवाया गया है।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 27-3-18 प्रस्तुत किया है, प्रति अपीलार्थी को पृष्ठांकित की है से प्रत्यर्थी के पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है।

7. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना शुल्क जमा नहीं करवाये जाने के कारण सूचना की अदायगी नहीं की गई है। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि यदि अपीलार्थी आदेश प्राप्ति के 21 दिवस में वांछित सूचना शुल्क जमा करवा दें तो उन्हें सूचना अधिप्रमाणित एवं हस्ताक्षरित कर उपलब्ध करवा दी जावे।

8. अस्तु, वर्तमान अपील उपरोक्तानुसार निस्तारित की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त